

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 625(अ).—संवर्ग पुनर्गठन योजना, 2014 के अनुमोदन के फलस्वरूप, कॉलम (1) में नीचे यथा सूचीबद्ध मंत्रालयी कर्मचारी प्रशिक्षण यूनिट (एमएसटीएसयू) के कार्यशील क्षेत्राधिकार में नीचे तदनुरूप एमएसटीयू के सामने कॉलम (2) में यथा सूचीबद्ध प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (पीआर.सीसीआईटी)/मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीआईटी) के समग्र प्रादेशिक क्षेत्राधिकार शामिल होंगे। संबंधित पर्यवेक्षी प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (डीटीआरटीआई) को कॉलम (3) में दर्शाया गया है। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त एमएसटीयू के लिए अपने क्षेत्र (रीजन) में संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी (सीसीए) होंगे :-

(1)	(2)	(3)
एमएसटीयू स्टेशन	प्र. सीसीआईटी/सीसीआईटी क्षेत्र	पर्यवेक्षी डीटीआरटीआई
1. अहमदाबाद 2. बड़ौदा 3. राजकोट 4. सूरत	1. प्र. सीसीआईटी, गुजरात 2. सीसीआईटी, बड़ौदा 3. सीसीआईटी, राजकोट 4. सीसीआईटी, सूरत	डीटीआरटीआई, अहमदाबाद
1. जयपुर 2. जोधपुर 3. उदयपुर	1. प्र. सीसीआईटी, राजस्थान 2. सीसीआईटी, जोधपुर 3. सीसीआईटी, उदयपुर	डीटीआरटीआई, अहमदाबाद
1. बंगलौर 2. पणजी	1. प्र. सीसीआईटी, कर्नाटक व गोवा 2. सीसीआईटी, पणजी	डीटीआरटीआई, बंगलौर
1. हैदराबाद 2. विज़ांग	1. प्र. सीसीआईटी, आंध्र प्रदेश 2. सीसीआईटी, विज़ांग	डीटीआरटीआई, बंगलौर
1. चंडीगढ़ 2. शिमला 3. अमृतसर 4. लुधियाना 5. पंचकुला	1. प्र. सीसीआईटी, एनडब्ल्यूआर 2. सीसीआईटी, शिमला 3. सीसीआईटी, अमृतसर 4. सीसीआईटी, लुधियाना 5. सीसीआईटी, पंचकुला	डीटीआरटीआई, चंडीगढ़
1. दिल्ली	1. प्र. सीसीआईटी, दिल्ली	डीटीआरटीआई, दिल्ली
1. चेन्नई 2. कोयंबटूर 3. मदुरई 4. त्रिची	1. प्र. सीसीआईटी, तमिलनाडु 2. सीसीआईटी, कोयंबटूर 3. सीसीआईटी, मदुरई 4. सीसीआईटी, त्रिची	डीटीआरटीआई, चेन्नई
1. कोच्चि 2. त्रिवेन्द्रम	1. प्र. सीसीआईटी, केरल 2. सीसीआईटी, त्रिवेन्द्रम	डीटीआरटीआई, चेन्नई
1. कोलकाता	1. प्र. सीसीआईटी, वेस्ट बंगाल एवं सिक्किम	डीटीआरटीआई, कोलकाता
1. गुवाहाटी 2. शिलांग	1. प्र. सीसीआईटी, एनईआर 2. सीसीआईटी, शिलांग	डीटीआरटीआई, कोलकाता
1. पुरी	1. प्र. सीसीआईटी, ओडिशा	डीटीआरटीआई, कोलकाता
1. पटना 2. हजारीबाग	1. प्र. सीसीआईटी, बिहार एवं झारखंड 2. सीसीआईटी, रांची	डीटीआरटीआई, पटना
1. कानपुर 2. देहरादून 3. गाजियाबाद	1. प्र. सीसीआईटी, यूपी (वेस्ट) एंड उत्तराखंड 2. सीसीआईटी, देहरादून 3. सीसीआईटी, गाजियाबाद	डीटीआरटीआई, लखनऊ
1. लखनऊ 2. बरेली 3. इलाहाबाद	1. प्र. सीसीआईटी, यूपी (पूर्व) 2. सीसीआईटी, बरेली 3. सीसीआईटी, इलाहाबाद	डीटीआरटीआई, लखनऊ

1. भोपाल 2. इंदौर 3. रायपुर	1. प्र. सीसीआईटी, एमपी एवं छत्तीसगढ़ 2. सीसीआईटी, इंदौर 3. सीसीआईटी, रायपुर	डीटीआरटीआई, भोपाल
1. नागपुर	1. प्र. सीसीआईटी, नागपुर	डीटीआरटीआई, भोपाल
1. मुम्बई (3 यूनिट)	1. प्र. सीसीआईटी, मुम्बई	डीटीआरटीआई, मुम्बई
1. पुणे 2. नासिक 3. ठाणे	1. प्र. सीसीआईटी, पुणे 2. सीसीआईटी, नासिक 3. सीसीआईटी, ठाणे	डीटीआरटीआई, मुम्बई

2. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एचआरडी/टीसीबी/620/2/2014-15/डा. सं. 491/2014-प्रशा.VII]

एम.एल. मीना, संयुक्त सचिव